



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/

दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री संजय कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16.05.2015 है तथा दिनांक 15.05.2017 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है। कार्मिक द्वारा दिनांक 21.12.2017 को आरएससीआईटी एवं दिनांक 12.06.2018 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 16.05.2017 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 12.06.2018 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

42  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 18/02/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/435

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरु।
2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
3. श्री संजय कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर